न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, RAS.
पत्रावली संख्या : 09/**18 (अपील)**

अनवान

1. श्री सौरभ दवे पिता विजय देव जाति ब्राहम्ण निवासी सालेराकलां तह. मावली।

.....अपीलान्ट्

बनाम

1. ग्राम पंचायत नान्दवेल प.स. मावली जिला उदयपुर।
2. श्री दुर्गाशंकर पिता कन्नीराम उर्फ किशनलाल सुथार निवासी नान्दवेल तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा तह. मावली।

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : 1. श्री हार्दिक चेचानी, अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री शैलेष मीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स सं. 2।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. नान्दवेल, बाबत ना. सं. 7678 दि. 21.12.2017

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 05.08.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत नान्दवेल बाबत् नामान्तरण संख्या 7678 दिनांक 21.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि गांव नाहरमगरा पटवार हल्का नाहरमगरा में स्थित आराजी नम्बर 495, 496, 497 किता 3 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा उक्त आराजीयात विपक्षी सं. 1 के नाम पर 1/4 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा मुझ अपीलार्थी ने दिनांक 09.10.17 को विपक्षी सं. 1 से उसके सम्पूर्ण 1/4 हिस्से को जरिये रजि. विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया था तब से मै अपीलार्थी उक्त आराजीयात के 1/4 हिस्से पर कब्जे काश्त हो खेती करता आ रहा हुं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.10.2017 के आधार पर मेरे द्वारा उक्त क्रय की जमीन को मेरे नाम पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु मुझ अपीलार्थी ने विपक्षी सं. 1 ग्राम पंचायत नान्दवेल के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपील में वर्णित जमीन के 1/4 हिस्से को मेरे नाम पर दर्ज करवाने का निवेदन किया जिस पर विपक्षी सं. 1 ने उक्त विक्रय पत्र को अपनी नियमित कॉरम में पेश कर नामान्तरण हेतु प्रस्तावित करने का

आश्वासन दिया जिस पर मुझ प्रार्थी ने करीब 3 बार ग्राम पंचायत की कॉरम में उपस्थिति दर्ज करवायी परन्तु नामान्तरण नहीं खोला, मैने ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों से सम्पर्क किया तो उन्होने सही तरीके से जवाब नहीं दिया।

2. विपक्षी सं. 1 को उक्त नामान्तरण बाबत् कई बार तकाजा किया परन्तु विपक्षी सं. 1 ग्राम पंचायत ने न तो स्पष्ट जवाब दिया और ना ही विपक्षी सं. 1 द्वारा की गई कार्यवाही बाबत् कोई जानकारी दी, जिस पर मुझ प्रार्थी ने विपक्षी सं. 3 पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा से दिनांक 07.08.2018 को सम्पर्क किया तो विपक्षी सं. 3 ने बताया कि मुझ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण बाबत् प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया हैं जिस पर मुझ प्रार्थी ने खारिज नामान्तरण की नकल निकलवाई तो पता चला कि विपक्षी सं. 1 ने दिनांक 21.12.2017 को नामान्तरण सं. 7678 को मुझ प्रार्थी व विक्रेता विपक्षी सं. 2 की अनुपस्थिति दर्ज कर तथा उक्त जमीन पर मुझ प्रार्थी का कब्जा नहीं मानते हुए खारिज कर दिया जो कि विपक्षी सं. 1 ने गलत तरीके से किया है विपक्षी सं. 1 ने वर्णित तथ्यों के संबंध में कोई जांच नहीं की जिस कारण विपक्षी सं. 1 ने उक्त नामान्तरण खारिज कर एक विधिक भुल की हैं।

3. विपक्षी सं. 1 ने विक्रेता से कोई बयान नहीं लिया है और ना ही विपक्षी सं. 1 ने मौका रिपोर्ट कब्जे बाबत् बनायी है विपक्षी सं. 1 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उक्त जमीन पर विवाद है जबकि न तो किसी भी न्यायालय में और ना ही किसी पुलिस थाने में उक्त विक्रय पत्र या जमीन के बाबत् कोई मुकदमा विचाराधीन है जबकि स्वयं विक्रेता मेरे साथ कॉरम में उपस्थित होकर नामान्तरण खुलवाने हेतु गवाह व साक्ष्य के लिए तैयार था विपक्षी सं. 1 ने अपनी मनमर्जी एवं गलत तरीके से उक्त नामान्तरण खारिज कर दिया जो विपक्षी सं. 1 की भारी भुल हैं।

4. उक्त जमीन पर मुझ प्रार्थी का कब्जा है मुझ प्रार्थी ने विक्रय मुल्य की कुलिया राशि का भुगतान कर दिनांक 09.10.2017 को विपक्षी सं. 2 से क्रय की है उक्त जमीन पर किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है और ना ही क्रेता व विक्रेता के मध्य में किसी भी तरह का कोई विवाद है विपक्षी सं. 1 की मनमानी पूर्वक एवं गलत तरीके से की गई कार्यवाही के आधार पर मुझ प्रार्थी को मेरे हक एवं हिस्से से महरूम नहीं रखा जा सकता हैं दिनांक 09.10.2017 के विक्रय पत्र के आधार पर मै प्रार्थी कलम सं. 1 में वर्णित आराजीयात हिस्सेनुसार खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी हुं। मुझ अपीलार्थी ने विपक्षी सं. 1 को नामान्तरण बाबत् बार–बार कहा परन्तु विपक्षी सं. 1 ने राजनितिक पक्ष विपक्ष के आधार पर

नामान्तरण खारिज कर मुझ अपीलार्थी को भारी क्षति पहुंचाई है तथा दिनांक 08.08.2018 मुझ प्रार्थी ने पटवारी से सम्पर्क कर खारिज नामान्तरण की नकल को निकलवाई जिसकी अपील आप न्यायालय में अविलम्ब पेश की जा रही हैं।

5. ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा उक्त नामान्तरकरण खारिज किया गया जिससे खारीज नामान्तरण की अपील को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हैं। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मुझ अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा अपील में वर्णित जमीन के सम्बन्ध में विपक्षी सं. 1 ग्राम पंचायत नान्दवेल का प्र.स. 5 दिनांक 21.12.2017 के आदेश निरस्त कर पटवार हल्का नाहरमगरा को समुचित आदेश प्रदान कराया जावे तथा जमाबन्दी में मुझ अपीलार्थी के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विरूद्व कार्यवाही को ड्रॉप किया। रेस्पोडेन्ट् सं. 3 व 4 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। रेस्पोडेन्ट् सं. 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 9.10.17 को मैने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त अपील में वर्णित जमीन के 1/4 हिस्से की जमीन को विक्रय कर विक्रय पत्र अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित कर दिया था तथा विय पत्र अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित कर दिया था तथा विक्रय मुल्य की कुलिया राशि एक मुश्त नगद मैने अपीलार्थी से प्राप्त कर उक्त जमीन का भौतिक कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द कर दिया था तब से अपीलार्थी उक्त जमीन के 1/4 हिस्सें पर कब्जे काश्त होकर उसके उपयोग उपभोग में हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सही होकर स्वीकार है क्योंकि मै व अपीलार्थी बार–बार ग्राम पंचायत कार्यालय नान्दवेल गये परन्तु ना ही ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा हम दोनों के बयान लिये और न ही उक्त नामान्तरण बाबत् हम दोनों को कुछ पुच्छा गया। इस जमीन का नामान्तरण अपीलार्थी के पक्ष खोले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।

7. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के नाम भूमि दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा अपनी बहस में अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 7678 दिनांक 21.12.2017 को ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत कर अन्दर मियाद होकर अपील स्वीकार किया जाने का निवेदन किया हैं। अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 2 से दिनांक 09.10.17 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरण पर क्रेता एवं विक्रेता के उपस्थित रहने व कब्जा नहीं होकर विवाद होने का अंकन कर नामान्तरण खारिज किया हैं जबकि वादग्रस्त भूमि को अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त करने का कथन किया हैं। चूंकि उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत द्वारा विवाद होने का अंकन कर खारिज किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया देखने पर यदि उक्त नामान्तरकरण बाबत् विवाद था तो विवादित नामान्तरकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त नामान्तरकरण पर कार्यवाही की गई है जो विधि विरूद्व हैं। विवाद होने पर ग्राम पंचायत को सक्षम अधिकार को प्रेषित करना था जबकि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया हैं। अतः ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण को पारित करने में विधिक त्रुटि की हैं। जिसे अपास्त किया जाकर तहसीलदार मावली से जांच कराकर कार्यवाही किया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 का आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 7678 दिनांक 21.12.2017 को अपास्त किया जाता है, तथा तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.10.2017 की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पालनार्थ तहसीलदार मावली को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
मावली